

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक:-राम/प-1/स्थानान्तरण/वि/स्था/2020/6323-64 दिनांक:- 26/08/21

सम्भागीय आयुक्त (समस्त)
जिला कलेक्टर समस्त

विषय - स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र आवेदन के संबंध में।
संदर्भ - संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की आज्ञा प5 (1)प्रसु/सम/अनु-1/2018 दिनांक -15.08.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आज्ञा के संबंध में निवेदन है कि मण्डल के पत्र दिनांक 27.07.2021 के द्वारा मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के आवेदन पत्र मण्डल की ई-मेल आईडी transfer.bor@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.07.2021 तक भिजवाया जाने एवं मण्डल के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1/11, तहसील राजस्व लेखाकार स्थानान्तरण हेतु दिनांक 05.08.2021 तक sso.rajasthan.gov.in पर राज-काज एप्लीकेशन के माध्यम से एवं ई-मेल transfer.bor@rajasthan.gov.in पर अपना प्रार्थना-पत्र ऑनलाईन प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की प्रासंगिक आज्ञा के क्रम में मण्डल के पत्र दिनांक 27.07.2021 एवं 28.07.2021 के द्वारा स्थानान्तरण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्मिकों के आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2021 तक भिजवाये जाने का श्रम करावे।

भवदीय

(बी० एल० भोणा)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक: 26/08/21

क्रमांक: 6368-90

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. राजस्व अपील प्राधिकारी (समस्त)।
5. निबन्धक, भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (उपविधि परामर्शी) मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर एवं जोधपुर।
7. प्रभारी अधिकारी (रातस, भू-अभिलेख व लेखा शाखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. अति० निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित कर लेख हैं कि स्थानान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को शाखावार छंटनी कर प्रतिदिन संबंधित शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(भवन्त सिंह सान्दू)
अति निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर